

प्रेषक,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:

06(03) माध्यमिक / 30894-99 / 2016-17 दिनांक: 06 जनवरी 2017

विषय:-


अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-52/XXIV-4/2017-10(66)/2015 दिनांक 04 जनवरी 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.2017 की प्रति विद्यालयी शिक्षा की बेबसाइट-www.school education.uk.gov.in पर उपलब्ध है तथापि एक प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उक्त शानादेशानुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त अधीनस्थ अधिकारी एवं अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को भी तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

  
(आर0के0कुंवर)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पू0स0-

06(3) माध्यमिक / 30894-99 / 2016-17 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि:-

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
- 3 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा, देहरादून।
- 4 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल/कुमायूं मण्डल नैनीताल, अपने स्तर से भी जनपदों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 5 प्रभारी, एम0आई0एस0 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा, देहरादून को इससे कि उक्त अधिसूचना को schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
(आर0के0कुंवर)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय-अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बनाये गये विनियम, 2009 में मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित है। अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु राज्य में अभी मानक निर्धारित नहीं है। पूर्व में पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के सम्बन्धित शासनादेशों एवं विनियम, 2009 में मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में ही अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की कार्यवाही की गयी है।

उक्त क्रम में राज्य के ग्रामीण, दुरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित ऐसे विद्यालयों को संचालित किये जाने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु राज्य में मानक/नीति बनाया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे विद्यालयों, जो कि अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हैं, को अब वेतन अनुदान के स्थान पर प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- आवर्तक सहायता अनुदान-

1. जूनियर हाईस्कूल स्तर पर- प्रति छात्र रू0 1000/- प्रति वर्ष अथवा अधिकतम रू0 1,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो।
2. हाईस्कूल स्तर पर प्रति छात्र रू0 1500/- प्रति वर्ष अथवा अधिकतम रू0 2,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो।
3. इण्टरमीडिएट स्तर पर- प्रति छात्र रू0 2000/- प्रति वर्ष अथवा अधिकतम रू0 3,00,000/- प्रतिवर्ष, जो भी कम हो।

2- अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु पात्रता का निर्धारण-

1. कम से कम 05 वर्ष पूर्व विद्यालय को वित्तविहीन स्थायी मान्यता प्राप्त हो।

2. विद्यालय की सोसायटी का यथा प्रक्रिया सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत, अद्यतन नवीनीकृत पंजीकरण होना चाहिए।
3. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के सिद्धान्तों के अनुरूप विद्यालय की प्रशासन योजना अनुमोदित होनी चाहिए।
4. छात्र संख्या—
  - (अ) जूनियर हाईस्कूल स्तर पर— कम से कम 100 छात्र (पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 75 छात्र)।
  - (ब) हाईस्कूल स्तर पर— कक्षा 9-10 में कम से कम 150 छात्र (पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 100 छात्र)।
  - (स) इण्टरमीडिएट स्तर पर— कक्षा 11-12 में कम से कम 200 छात्र (पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम 150 छात्र)।
5. भूमि सम्बन्धी— विद्यालय के नाम निर्धारित मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज अथवा विनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उपलब्ध होनी चाहिए।
6. भवन सम्बन्धी— विनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित माप एवं संख्या में कक्षा-कक्ष/भवन उपलब्ध होने चाहिए।
7. निकटवर्ती क्षेत्रों में अन्य विद्यालयों की उपलब्धता—
  - (अ) जूनियर हाईस्कूल के लिए— मैदानी क्षेत्रों में 05 किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 03 कि०मी० की परिधि में कोई अन्य जूनियर हाईस्कूल स्थित नहीं होना चाहिए।
  - (ब) हाईस्कूल के लिए— मैदानी क्षेत्रों में 7 कि०मी० तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 5कि०मी० की परिधि में कोई अन्य हाईस्कूल स्थित नहीं होना चाहिए।
  - (स) इण्टरमीडिएट के लिए— मैदानी क्षेत्रों में 10 कि०मी० तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 7 कि०मी० की परिधि में कोई अन्य इण्टरमीडिएट स्तर का विद्यालय स्थित नहीं होना चाहिए।
8. परीक्षाफल— विगत 03 प्रत्येक वर्ष का परीक्षाफल 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होने चाहिए।
9. विद्यालय के सभी शिक्षक/कर्मचारी समकक्ष राज्य सरकार के विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के अनुरूप एन०सी०टी०ई०/आर०टी०ई० के अन्तर्गत विहित योग्यताधारी हों तथा विधिवत् व पारदर्शी/व्यापक प्रचारित खुली विज्ञप्ति के चयनोपरान्त संक्षम स्तर से अनुमोदित हों एवं नियमित हों। विद्यालय में नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हों एवं नियमित हों। विद्यालय में नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हो।
10. विद्यालय का अनुशासन उत्तम हो। विद्यालय में पेयजल, शौचालय, क्रीड़ा स्थल व अन्य आवश्यक सुविधाओं की उचित व्यवस्था हो।
11. विद्यालय के लेखे अद्यावधि पूर्ण हों तथा संपरीक्षित हों एवं संपरीक्षा आपत्तियों का निदान किया जा चुका हो।

12. अनुदान स्वीकृति के उपरान्त यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में अनियमितता पायी जाय और अनुदान स्वीकृति के अधिकतम दो वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर न किया जाय तो विद्यालय को अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा तथा अनुदानित कुल राशि विद्यालय/विद्यालय सोसाइटी/सोसाइटी के सदस्यों से सामूहिक अथवा पृथक-पृथक से वसूल की जायेगी जिस हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से भू राजस्व के बकाया/सरकारी धनराशि की वसूली/अनुरक्षण रिकवरी प्रमाण पत्र प्रेषित कर वसूली की जायेगी। अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व विद्यालय एवं प्रबन्ध समिति/सोसाइटी द्वारा शर्तों का पालन करने व उनसे वसूली हेतु अनुबन्ध किया जायेगा।
13. प्रबन्ध समिति विवादित न हो तथा न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न हो।
14. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, संगत विनियमों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार विद्यालय संचालन किया जाता हो।
15. विद्यालय का संचालन निर्धारित न्यूनतम कार्यदिवसों से कम न हो।
16. विद्यालय का निर्धारित रिजर्व फण्ड (सुरक्षित कोष) एवं इण्डोमेन्ट (प्रभूत कोष) बन्धक हो।
17. प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय सम्पत्ति बन्धक न होने तथा विवादित न होने का प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।
18. शान्तिभावक शिक्षक संघ का विधिवत् गठन हो, कोष का समुचित रख-रखाव हो। विद्यालय में कोई पीओटीओ शिक्षक कार्यरत न हो।
19. विद्यालय का किसी भी स्तर पर पूर्व में अनुदान निलम्बित न रहा हो।
20. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव कि "विद्यालय को प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल इण्टर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जाय तथा वे वर्तमान एवं भविष्य में विभाग/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य रहेंगे" देना होगा।
21. अनुदान स्वीकृत करने एवं उसे जारी रखने अथवा समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं अन्य बिन्दुओं के कम में ले सकेगी, जिस पर कोई चुनौती/विवाद किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार का ही मान्य होगा।

## 22. अनुदान का निलम्बन—

राज्य सरकार यदि उचित समझे तो निम्न परिस्थितियों में विद्यालय को स्वीकृत अनुदान निलम्बित रखा जा सकता है।

- (1) विद्यालय में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही हो।
- (2) प्रबन्ध समिति द्वारा अनुदान हेतु निर्धारित शर्तों का पालन न किया जा रहा है।
- (3) राज्य की वित्तीय स्थिति विद्यालय को अनुदान जारी रखने हेतु उपयुक्त न हो।

- (4) विद्यालय का शैक्षिक स्तर निम्न स्तर का हो। हाईस्कूल/इंटर का निरन्तर दो वर्षों में 75 प्रतिशत से न्यून हो।
- (5) शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता की गयी हो।
- (6) प्रबन्ध समिति/सोसाइटी में निरन्तर आपसी विवाद चल रहा हो।

### 23. अनुदान का निरस्तीकरण-

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विद्यालय संचालन में अनियमितता की जा रही है अथवा अनुदान हेतु निर्धारित शर्तों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा हो तो राज्य सरकार सम्बन्धित आदेश द्वारा विद्यालय को स्वीकृत अनुदान निरस्त कर सकेगी।

उपरोक्त क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित मानकों के अन्तर्गत सम्यक परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट अभिमत/संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-179 (P)XXVII(3)/2016-17 दिनांक. 07 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

31/12/2017  
(डॉ० रणबीर सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 52 /XXIV-4/2017-10(66)2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 7- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- 9- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक/माध्यमिक) उत्तराखण्ड।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)  
अपर सचिव।